रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240642 CG-DL-E-29112022-240642

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5303] No. 5303] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

का.आ. 5533(अ).—जबिक, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4201(अ), दिनांकित 11 अक्टूबर, 2021 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548सी (महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजनाओं के अंतर्गत तेंभूरनी – कुरुदवाड़ी – बारशी खंड को छोड़कर) को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सुपूर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित तथा समय-समय पर संशोधित (इसके बाद उक्त नियमों के रुप में संदर्भित) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा महाराष्ट्र राज्य में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन / 4 लेन में विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग 548सी (लंबाई – 60.728 किमी) के केज से कुसुलंब (डिजाइन चैनेज किमी. 159+258 से किमी 219+986) तक खंड के 14.328 किमी (चार लेन के खंड के उपयोग के लिए) निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर, 46.268 किमी (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के खंड के उपयोग के लिए) निवल सड़क खंड लंबाई के लिए और 1.32 किमी (132 मीटर की कुल लंबाई वाली) की समतुल्य कुल संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर वहनों के

7917 GI/2022 (1)

प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-।

(111/1-1/1-1	
	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

	तालिका-2						
पथकर प्लाजा	की	अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है ।			
(चैनेज)							
महाराष्ट्र राज्य				पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के			
बारशी, जिला -	ओस्म	गानाबाद के		लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित			
डिजाइन	Ħ	वैनेज किमी		आधार दरों का 60%			
210+000 पर			11.020 () ()	चार और उससे अधिक लेन के लिए			
				ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार			
				दरों का 100%			

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
(ਹੈ ਜੇ <u>ਯ</u>)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचना* की लंबाई (किमी में)	(किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के तहसील – बारशी, जिला - ओसमानाबाद के डिजाइन चैनेज किमी 210.000 पर			ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

क्र. सं.		डिजाइन किमी तक	संरचना का प्रकार	,	कैरिजवे की चौड़ाई (मी. में)	संरचना की कुल चौड़ाई (मी. में)
1	174.474	174.606	बड़ा पुल	0.132	11.00	16.00

- 3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2022-23 के लिए 315.00 रु. (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) है और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।
- 4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

	तालिका-4	
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना		भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई		भुगतान की तारीख से एक महीना

- 5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परिमट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
- 6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
- 7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
- 8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
- 9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रित किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रित वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 10. इस परियोजना की प्राक्किलत पूंजीगत लागत 554.78 करोड़ रु. है। पूंजीगत लागत सार्वजिनक जन सुविधाओं के स्थानांतरण के कार्यकलापों, मूल्य समायोजन, जीएसटी, इत्यादि के अध्यधीन हैं, जिसे अभी पूरा किया जाना है। अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत

का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरओ/एमयूएम/पी-1139/2016-17]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

S.O. 5533(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4201(E) dated 11th Oct 2021, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of NH- 548C [excluding Tembhurni -Kurudwadi –Barshi section under BOT project of State Govt. of Maharashtra] to State Government of Maharashtra;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 14.328 km [for use of four lane section], at 60% for net road length of 46.268 km [for use of two lane with paved shoulder section] and for total equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.32 km (having total length of 132 m) on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for the use of Kaij to Kusulumb (design chainage Km.159+258 to Km.219+986) section of NH-548C (Length- 60.728km) developed to two lane with paved shoulder /4 lane standards in the state of Maharashtra and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

TABLE-2					
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) (Excluding length of structure > 60m) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable			
At design chainage Km.210+000 Tal.	46.268	60% of the base rates for two lane			
Barshi, District-Osmanabad in the State of		with paved shoulder section mentioned			
Maharashtra.		in Table-1 above			
	14.328	100% of the base rates for four and			
		more lane section mentioned in Table-			
		1 above			

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

TABLE 3				
Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to	Equivalent Road	Rate at which fee is	
	be converted into equivalent road	length	payable	
	length	(In km)		
At design chainage Km.210.000 Tal.	0.132*	1.32	60% of the base rates	
Barshi, District-Osmanabad in the			mentioned in Table-1	
State of Maharashtra.			above	

* The details of >60m structure is as under:

	From design Km.	To design Km.	71	structure (in km)	Width of Carriageway (in m)	Total width of structure (in m)
1	174.474	174.606	Major Bridge	0.132	11.00	16.00

- 3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.315/- (Rupees Three Hundred and Fifteen only) for FY 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one-way	Period of validity
	journeys allowed	
One and half times of the fee for one way	Two	Twenty-four hours from the time of
journey		payment
Two-third of amount of the fee payable for	Fifty	One month from date of payment
fifty single journeys		

- 5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
- 8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- 9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 10. The estimated capital cost of the project is Rs.554.78 Crores. The capital cost is subject to variation as the activities of utility shifting, price adjustments, GST, etc., are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/MUM/P-1139/2016-17] MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.